29.11.2025

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट मय रोजनामचा सान्हा सहित तस्दीक पंचनामा के इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि अभियुक्त दिये पते पर नहीं रहता है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

प्रकरण तामिल कुनिंदा साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

तामिल कुनिंदा साक्षी **आरक्षक पंकज बघेल** उपस्थित।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त **अखिलेश पिता कैलाश को 25.03.2023** से लगायत तक गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये किन्तु अभियुक्त ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा न ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया है। गिरफ्तारी वारण्ट में उल्लेखित टीप एवं तस्दीक पंचनामों एवं तामील कुनिंदा **साक्षी आरक्षक पंकज बघेल** की साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण स्वयं को बचाने के लिए फरार हो गया है, उसकी तुरंत व निकट भविष्य में गिरफ्तार किये जाने कि कोई सम्भावना नहीं है। अतः **अभियुक्त अखिलेश पिता कैलाश उम्र 28 वर्ष, निवासी गली नम्बर 04 आवास कॉलोनी, बेटमा थाना बेटमा जिला इंन्दौर म.प्र.** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–299 दण्ड प्रक्रिया सहिता की कार्यवाही की जाती है तथा उसके विरूद्ध स्थायी (बेमयादी) गिरफ्तार वारंट जारी किया जावें।

अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जावक कर जावक क्रमांक आदेश पत्रिका के हासिये में उल्लेखित कर संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित किया जावे तथा संबंधित थाना पर वारण्ट प्राप्त होनें में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर अभिलेख के साथ संलग्न की जावे।

प्रकरण अभिलेखागार इस टीप के साथ भेजा जावें कि प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए स्थायी वारंट जारी किया गया। अतः अभिलेख नष्ट नही किया जावें तथा इस आशय की टीप लाल स्याही से पत्रावली के मुख्यपृष्ठ पर भी अंकित की जावे।

पत्रावली मूल प्रकरण में संलग्न की जावे तथा मूल प्रकरण व पत्रावली आपराधिक पंजी में दर्ज कर विहित समयावधि मे अभिलेखागार भेजा जावें।

SUMITRA TAHED

Digitally signed by SUMITRA TAHED
Date: 2025.11.29 17:46:23 +0530

(सुश्री सुमित्रा ताहेड़)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला– इन्दौर(म.प्र.)